कृषि अनुसंधान केन्द्र

(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

केशवाना (जालौर) 343001

क्रमांक– प. फार्म स्टोर / कृअके / केशवाना / 2022 / 104 दिनांक: 05.05.2022

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि अनुसंधान केन्द्र, केशवाना के बकरी फार्म पर बकरियों की देखरेख व चराई का कार्य जून 2022 से अप्रेल 2023 तक अनुबंध पर करवाया जाना है। अतः इस कार्य हेतु इच्छुक व्यक्तियों / चरवाहों से सीलबन्द निविदाऐं आमन्त्रित की जाती है। अतः इच्छुक व्यक्ति अपनी मोहरबन्द निविदा इस कार्यालय में धरोहर राशि रूपये 10000/– रोकड़ अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि श्रीमान क्षैत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, केशवाना के नाम देय हो दिनांक 19.05.2022 दोपहर 12:00 बजे तक जमा करवा सकते है। निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 500/– जमा करवाकर कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते है। निविदा उसी दिन दोपहर 02:00 के बाद उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र व शर्तों को कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट www.aujodhpur.ac.in अथवा राजस्थान राज्य लोक उपापन की वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा की अनुमानित कीमत रूपये 5.00 लाख है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार क्षैत्रीय निदेशक अनुसंधान का होगा।

क्षैत्रीय निदेशक अनुसंधान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवंम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान वित नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय,जोधपुर ।
2. श्रीमान निदेशक अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. श्रीमान कोषाधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
4. लेखा शाखा, कृषि अनुसंधान केन्द्र, केशवाना।
5. संयोजक / सदस्य, निविदा कमेठी / समस्त सूचना पट्ट:-

क्षैत्रीय निदेशक अनुसंधान

कृषि अनुसंधान केन्द्र

(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

केशवाना (जालौर) 343001

बकरियों की देखरेख व चरवाह कार्य हेतु निविदा वर्ष 2022–23

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	वर्ष 2022 / स–
निविदा क्रम संख्या	कमांक प. फार्म स्टोर / कृअके / केशवाना / 2022 / 104 दिनांक: 05.05.2022
निविदा प्रपत्र शुल्क	500 / –रूपये रसीद संख्याः———————————— दिनांक : ———————
निविदा वर्ष	2022–23
श्रमिक / चरवाहे उपलब्ध कराने की अनुमानित अवधि	जून 2022 से अप्रेल 2023
अनुमानित लागत	रू 5,00,000 / –
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	05.05.2022 से 19.05.2022 सुबह 11.30 बजे तक
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	19.05.2022 दोपहर 12.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	19.05.2022 दोपहर 02.00 बजे तक
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द्र, केशवाना, जालौर
पत्राचार हेतु पता	क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, केशवाना, जालौर (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) (राज.) पिन कोड़– 343001

नोटः– धरोहर राशि कार्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द्र, केशवाना, जालौर में किसी भी कार्य दिवस में जमा करायी जा सकती है। धरोहर राशि दिनांक 19.05.2022 दोपहर 12.00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक / नगद द्वारा जो कि क्षेत्रिय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, केशवाना, जालौर (Zonal Director Research, Keshwana, Jalore) के नाम देय हों, जमा करायी जा सकती हैं।

संलग्नः निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्तें–

क्षैत्रीय निदेशक अनुसंधान

कृषि अनुसंधान केन्द्र,केशवाना, जालोर
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

बकरियों की देखरेख व चरवाह कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

1– निविदा सूचना कमांक: प. फार्म स्टोर / कृअके / केशवाना / 2022 / 104 दिनांक 05.05.2022

2– फर्म / ठेकेदार का नाम व पूर्ण पता ____________________

____

3–मोबाईल / फोन नम्बर ____________________

4–पंजीकरण नम्बर (यदि कोई हो तो)____________________

5–आयकर खाता नम्बर (PAN No.)____________________

6–निविदा फीस रू————रसीद संख्या————दिनांक———— (प्रपत्र फीस विवरण जो कार्यालय में जमा करवा दी गई है)।

7– धरोहर राशि रू0 10000/- नकद रसीद संख्या———— दिनांक———— के द्वारा कार्यालय में जमा करवा दी गई है। रसीद की फोटो प्रति संलग्न है। धरोहर राशि रू. 10 000/- का डी0डी0 सं0————————दिनांक————————सलंग्न है।

निविदा की दर :-

क्र. स.	कार्य का विवरण	दर (रू)
1	बकरियों की देखरेख व चरवाह कार्य हेतु मासिक निविदा दर रुपये **(प्रतिदिन 24 घंटा कार्य हेतु)**	

निविदादाता द्वारा निविदा शर्तों की स्वीकृति की घोषणा :-

मैंने निविदा शर्तों को पूरी तरह समझ लिया है तथा मुझे निविदा की सभी शर्तें यथावत स्वीकार हैं

निविदादाता / ठेकेदार के हस्ताक्षर व दिनांक

निविदादाता का पूरा

नाम____________________

पता____________________

कृषि अनुसन्धान केंद्र, केशवाना-जालोर

बकरियों की देखरेख व चरवाहे कार्य हेतु अनुबंध एवं निविदा की शर्तें

(कृपया निविदा शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद ही निविदा प्रस्तुत करें)

1. **निविदा में शामिल होने के लिये इच्छुक निविदादाता के पास किसी भी सरकारी फार्म पर बकरियों की देखरेख व चरवाहे कार्य का सफल कार्य अनुभव होना चाहिए तथा इस हेतु निविदादाता को उक्त का प्रमाण पत्र निविदा के साथ सलंग्न करना अति आवश्यक है।**
2. निविदा सीलबंद लिफाफे में श्रीमान क्षेत्रीय निदेशक अनुसन्धान, कृषि अनुसन्धान केंद्र, केशवाना के नाम देय हो तथा निविदा लिफाफे पर "बकरियों की देखरेख व चरवाहे कार्य हेतु निविदा दिनांक 05.05.2022 तथा निविदादाता का पुर्ण पता लिखा होना चाहिए।
3. निविदा स्थाई स्याही से लिखी होनी चहिये एवं प्रत्येक कार्य की दर अंकों व शब्दों में स्पष्ट लिखी होनी चाहिये तथा किसी प्रकार की कांट– छांट कि हुई निविदा स्वीकृत नहीं होगी। निविदा प्रपत्र रुपये 500/– रोकड़ कार्यालय में जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है।
4. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिएं।
5. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
6. निविदा के साथ रू 10000/– (अक्षरे रूपये दश हजार मात्र) धरोहर राशि बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ जो कि क्षैत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, केशवाना, जालौर (Zonal Director Research, Keshwana, Jalore) के नाम देय हो व निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500/– (अक्षरे रू पाँच सौ मात्र) नगद जमा कर प्रस्तुत करें। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नही की जायेगी तथा धरोहर राशि के रूप में चेक स्वीकार नही किया जायेगा।
7. निविदा दिनांक 19.05.2022 को 02.00 बजे बाद खोली जायेगी । यदि किसी कारणवश उस दिन का अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदा खोली जायेगी।
8. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार क्षैत्रीय निदेशक अनुसंधान के पास सुरक्षित रहेगा एवं क्षैत्रीय निदेशक अनुसंधान के निर्णय सर्वमान्य होंगे।
9. ठेकेदार के अधीन श्रमिको को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। ठेकेदार इसके लिए बाध्य होगा।
10. किसी भी नाबलिग या सजायाफता व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जायेगा।
11. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिको के ई.एस.आई. व भविष्य निधि आदि व अन्य कर, श्रमिक दुर्घटना व श्रमिक कल्याण का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। ई.एस.आई. व भविष्य निधि आदि व अन्य कर का रिकाई यदि आवश्यक हो तो श्रम निरीक्षक द्वारा चाहे गये अनुसार समय–समय पर जॉच हेतु प्रस्तुत करना होगा इस सन्दर्भ में इस केन्द्र का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

प्रतिदिन नवजात मेमनों की देखरेख, दूध पिलाने का कार्य व बड़े मेमनों को दाना देने का कार्य हेतु एक चरवाहे/श्रमिक को बकरी फार्म पर निर्देशानुसार कार्य करना होगा।

12. प्रतिदिन 24 घंटा बकरियों की देखरेख व चरवाह कार्य हेतु एक चरवाहे को बकरी फार्म पर ही रहना होगा।

13. फार्म की बकरियों की देखरेख में प्रातः एवं सांयकाल फार्म के खेतों में बकरियों को चराना, रात्री में उनके चारे पानी की व्यवस्था हेतु पेड़ों से डालियाँ आदि काटकर एकत्रित करना एवं उनकी सुरक्षा का कार्य करना शामिल है। बकरियों के विश्राम स्थल से चरवाहे को बकरियों की मेंगनी साफ कर एक जगह एकत्रित करनी होंगी। हर सप्ताह बकरियों के तौलने का कार्य करना होगा। यह सभी प्रकार का कार्य नियमित रूप से करना होगा। बकरियों के चिकित्सा कार्य के समय निविदादाता को ही चिकित्सक के साथ सहायतार्थ कार्य करना होगा।

14. चरवाहे कार्य हेतु अग्रिम तौर पर किसी भी प्रकार की सुविधा अथवा राशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। कार्य का बिल कार्य संतोषजनक ढंग से पूर्ण होने पर ही स्वीकार किया जाएगा एवं चरवाह कार्य का बिल माह में केवल एक बार ही स्वीकार किया जाएगा तथा कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जाएगा।

15. चरवाह कार्य की निगरानी नियमित रूप से सम्बंधित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा प्राप्त निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना करनी होगी।

16. वर्तमान में फार्म पर 200 बकरियां हैं, लेकिन अनुबंध अवधि के दौरान बकरियों की संख्या बढ़ने पर पारिश्रमिक को लेकर किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी तथा दरें निर्धारित होने के बाद किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जायेगी। चरवाहे को न्यूनतम प्रतिदिन 8–10 घंटा आवश्यक रूपसे कार्य करना होगा, जो कि प्रातः 6.00 बजे से शाम 8.00 बजे के मध्य रहेगा। बकरियों का दूध निकलने व तौलने आदि का कार्य भी सफल निविदादाता को ही करना होगा।

17. बकरियों की दैनिक देखरेख में की गयी किसी भी प्रकार की लापरवाही को निविदा शर्तों का उलंघन माना जाएगा तथा चरवाहे द्वारा फार्म पर स्वयं की लापरवाही से हुए नुकसान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। विपरीत मौसमी परिस्थिति में वर्षात आदि के समय फार्म पर संग्रहित चारा बकरियों को चराने हेतु स्तेमाल किया जा सकता है ।

18. निविदा शर्तों का उलंघन करने पर या फार्म पर किसी भी प्रकार की अनियमितता या नुकसान करने पर अनुबंध निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

19. निविदा दरें निविदा अनुमोदन के पश्चात अप्रेल 2023 तक के लिये मान्य होगी । आवश्यक्तानुसार आपसी सहमति से यह समयावधि बढाई जा सकती है।

20. सफल निविदादाता के अतिरिक्त सभी कि धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के पश्चात् सात दिन के अन्दर–अन्दर लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

21. सफल निविदादाता यदि ठेका बीच में छोड़ देता है तो उसकी धरोहर राशि व करवाये गये कार्य बकाया भुगतान जब्त करके ब्लेक–लिस्टेड घोषित कर दिया जायेगा।

22. कार्यालय द्वारा स्वीकृति दरों के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान नही किया जावेगा तथा स्रोत पर आयकर, सेवाकर या सरकारी देनदारी, अन्य कर देय हो तो नियमानुसार कटोती निविदादाता से की जायेगी।

23. ठेकेदार श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नहीं करेगा एवं भुगतान फार्म मैनेजर/कृषि पर्यवेक्षक की उपस्थिति में व समय पर करेगा।

24. अनुबंधकर्ता को नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प रूपये 100 या हाल ही घोषित सरकारी दर पर इकरारनामा (अनुबन्ध) प्रेषित करना होगा एवं साथ हीं अनुबन्धित वार्षिक राशि कि 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति (Security) के रूप में निर्धारित अवधि में जमा करवानी होगी।

25. अनुबन्ध पर रखे श्रमिक निर्धारित समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होंगे एवं कार्य संतोषजनक नही होने पर स्वीकृति अनुबन्ध निरस्त कर नई निविदा आमंत्रित कर ली जावेगी। स्वीकृति दर से अधिक दर पर भुगतान करने पर अनुमोदित अनुबन्धकर्ता से अधिक भुगतान कि गई राशि वसूल की जाएगी।

अशिष्ट व्यवहार करने व कार्य संतोषजनक नही होने पर श्रमिक को हटा दिया जायेगा। श्रमिकों के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न होता है तो उसके लिये संबन्धित निविदादाता ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा तथा अनुसंधान केन्द्र किसी भी रूप से उत्तरदायी नही होगा तथा

26. इस सम्बन्ध में अनुसंधान केन्द्र के विरुद्ध की गई सभी कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही प्रभाव शून्य होगी।
27. **अनुबन्ध अवधि में किसी श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य दुर्घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता (ठेकेदार) की होगी। ऐसी स्थिति में कृषि अनुसंधान केन्द्र की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में अनुसंधान केन्द्र प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की जावेगी ।**
28. अनुबन्ध अवधि के दौरान लगाये जाने वाले श्रमिकों के संदर्भ में श्रम कानूनों एवं प्रावधानों की पूर्ण पालना हेतु निविदादाता (ठेकेदार) उत्तरदायी रहेगा।
29. राजस्थान Transparency in public procurement rule 2013 के प्रावधान प्रभावी रहेंगे ।
30. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु कृषि अनुसंधान केंद्र का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा एवं ठेकेदार उसके लिए बाध्य होगा। विशेष परिस्थितियो में विवाद को माननीय कुलपति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के आविष्ट्रेशन में प्रस्तुत करना होगा और उनका निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा।
31. यदि ठेकेदार के श्रमिक द्वारा विश्वविद्यालय सेवामें स्थायी नियुक्ति के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाता है, तो ठेकेदार इसके लिये पुर्ण रुप से उत्तरदायी होगा।
32. निविदादाता/फर्म/ऐजेंसी के पास श्रम विभाग में पंजीयन होना चाहिए तथा उसके पास आयकर विभाग द्वारा निर्गत वैध पैन नं (PAN No.)/सेवाकर नम्बर इत्यादि व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के सम्बंध में दिशा निर्देशित प्रमाण पत्र जो ऐसे निविदादाता के लिए आवश्यक हो, होने चाहिए ।
33. किसी भी शर्त की पालना ना होने पर निविदा किसी भी समय रदद् की जा सकती है तथा धरोहर राशि जब्त कर जुर्माना लगाया जा सकता है।

मुझें निविदा की समस्त शर्ते मंजूर हैं तथा मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करवाने के लिये सहमत हूँ निविदादाता/कोन्ट्रेक्टर के हस्ताक्षर दिनांक :	क्षैत्रीय निदेशक अनुसंधान हस्ताक्षर मय सील	कमेटी सदस्यः 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.